1 परिचय

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का 14वां) के अधीन 30.12. 2000 को किया गया था, ने 6 जनवरी, 2001 से मुख्यालय शिमला से अपना कार्य प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2007–08 में आयोग ने सातवें वर्ष में प्रवेश किया है ।

पुनर्विनिय विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36वां) के कारण विद्युत क्षेत्र में बहुत उत्साह उत्पन्न हुआ । अधिनियम विभिन्न नियमों जैसे विद्युत उद्योग में पारदर्शिता लाने, एतद् सम्बन्धी प्रतियोगिता को बढ़ावा देने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, सभी क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने, विद्युत प्रभार को युक्तिसंगत बनाने, विद्युत उद्योग में कार्य कुशलता तथा मितव्ययता लाने तथा विद्युत उत्पादन, संचारण, वितरण तथा आपूर्ति सम्बन्धी समस्त कार्यक्लापों को वाणिज्यिक सिद्धान्तों तथा पर्यावरण हितैशी नीतियों के अनुरूप चलाना समेकित करता है ।

आयोग ने अधिसुचना द्वारा राज्य में विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा विनियमित करने के उद्देश्य से अधिनियम के अधिदेशानुसार अनेक विनियम तैयार किए गये हैं। विद्युत अधिनियम की 2003 की धारा 105 के तहत, वार्षिक प्रशासनिक रिर्पोट 2007–08 विधान सभा पटल पर रखी जाएगी ।

2 आयोग तथा इसका सचिवालय

अधिनियम की धारा 82(4) के अनुसार राज्य आयोग में अध्यक्ष सहित तीन से अधिक सदस्य शामिल नहीं होंगे, जबकि वर्तमान में एक सदस्यीय आयोग का कार्य 31.1.2006 से श्री योगेश खन्ना की अध्यक्षता में किया गया । प्रदेश में अपने कार्य निष्पादन के दौरान आयोग का निरन्तर प्रयास रहा है कि हिमाचल प्रदेश में निष्पक्ष, पारदर्शी तथा उद्देश्य मूलक विनियामक प्रक्रिया स्थापित की जाए। आयोग के सचिव द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत सभी वैधानिक मामलों, कार्मिक, प्रशासनिक, लेखा व वित्त तथा कार्यकारी निदेशकों द्वारा आयोग को सभी तकनीकी मामलों जैसे विनियमों को बनाना, तकनीकी व आर्थिक अनुमोदन, पीपीए, टेरीफ विश्लेषण इत्यादि में अध्यक्ष को सहयोग दिया गया। अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी आयोग को विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया।

3 आयोग के कार्य

आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) के अधीन निम्नलिखित अनिवार्य कार्य समनुदेशित किए गये हैं :–

- राज्य के अन्दर विद्युत उत्पादन, आपूर्ति, संचारण एवं व्हीलिंग हेतु थोक, बहुल या खुदरा का शुल्क निर्धारित करना। यह उपबन्धित है कि जहां धारा 42 के अधीन किसी उपभोक्ता वर्ग को खुली पहुंच की अनुमति प्रदान की गई हो ऐसी स्थिति में

राज्य आयोग उपभोक्ताओं के ऐसे वर्ग के सम्बन्ध में केवल व्हीलिंग प्रभार तथा उस पर लगने वाला प्रभार, यदि कोई हो तो, का निर्धारण करेगा।

- राज्य के भीतर विद्युत आपूर्ति एवं वितरण हेतु उत्पादन करने वाली कम्पनियों अथवा लाईसैंसधारियों अथवा किन्हीं अन्य स्रोतों से अनुबन्ध द्वारा किस कीमत पर विद्युत प्राप्त की जाए तथा वितरण लाईसैंसधारियों सम्बन्धी विद्युत क्रय तथा प्राप्ति प्रक्रिया को विनियमित करना।

- राज्य के भीतर विद्युत संचारण तथा व्हीलिंग की सुविधाएं उपलब्ध करवाना।

- राज्य के भीतर संचारण, वितरण तथा विद्युत व्यापारियों को लाईसैंस जारी करना।

- नवीनीकृत ऊर्जा स्त्रोतों तथा सह उत्पादन को विकसित करने हेतु उन्हें ग्रिड से जोड़ने के लिए उपयुक्त उपाय करना, किसी व्यक्ति को बिजली बेचने, तथा इसके साथ ही ऐसे स्त्रोतों से बिजली क्रय करने हेतु वितरण लाईसैंसधारी के क्षेत्र में उपयोग में लाई जाने वाली कुल बिजली की प्रतिशतता निर्धारित करना।

- लाईसैंसधारियों व उत्पादक कम्पनियों के मध्य विवादों का निर्णय करना, किसी विवाद को मध्यस्थ निर्णय के लिए भेजना।

- अधिनियम के उद्देष्यों की पूर्ति हेतु शुल्क लगाना।

- धारा 79 की उप–धारा (1) के खण्ड (एच) के अन्तर्गत निर्दिष्ट ग्रिड कोड के अनुरूप राज्य ग्रिड कोड को निर्दिष्ट करना।

- लाईसैंसधारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में गुणवता, निरन्तरता तथा विष्वसनीयता के मानक तय करना अथवा उन्हें लागू करना।

- यदि आवश्यक हो तो राज्य के भीतर व्यापार में व्यापारिक मार्जिन निर्धारित करना।

- ऐसे अन्य सभी कार्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम के अन्तर्गत उसे सौंपे जाए।

इसके साथ ही विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(2) के अधीन आयोग राज्य सरकार को निम्नलिखित अथवा किसी अन्य मामले में परामर्श प्रदान कर सकता है:–

(i) विद्युत उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता एवं मितव्ययता को बढ़ावा देना।
(ii) विद्युत उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना।
(iii) राज्य में विद्युत उद्योग का पुर्नसंगठन तथा पुर्ननिर्माण।

(iv) विद्युत उत्पादन, संचारण, वितरण, व्यापार अथवा अन्य सम्बन्धित सभी मामले जो कि राज्य सरकार द्वारा आयोग को भेजे जाएं।

4 आयोग के मानव संसाधन

4.1 सामान्य

इस वर्ष के दौरान आयोग में अधिकारियों/कर्मचारियों जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड अन्य विभागों /निगमों से प्रतिनियुक्ति पर विभिन्न कृत्यों के जैसे इंजीनियरिंग, वित्तीय विश्लेषण, लेखा, सूचना तकनीक तथा मानव संसाधन प्रबन्ध आदि क्षेत्रों में सीधें लिए गए है । आयोग द्वारा कर्मचारी वर्ग तथा अधिकारियों के सम्बन्ध में सेवा शर्तें अभी तक अधिसूचित नहीं की गई हैं तथा यह मामला सरकार तथा आयोग के विचाराधीन है।

वर्ष के दौरान, आयोग द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, कार्यालय सहायता तथा अन्य आन्तरिक कार्यों के निष्पादन हेतु वाह्य स्त्रोतों (सर्विस प्रोवाइडर) के माध्यम से आर्थिक व कार्यदक्षता हेतु सेवायें जारी रखी गई । 31.3.2008 तक आयोग में कुल 29 कर्मचारी कार्यरत रहें नियमित कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या के अभाव में आयोग द्वारा अधिक कार्यबोझ से निपटने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में परामर्शदात्ताओं की विशेषज्ञ सेवांए भी ली गई।

आयोग का संगठनात्मक चार्ट परिशिष्ट–1 पर तथा कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट–।। पर संलग्न है।

4.2 प्रशिक्षण/ सम्मेलन/कार्यशालाओं तथा बैठकों में भाग लेना

वर्ष के दौरान आयोग ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें परियोजना प्रबन्धन, हिमाचल प्रदेश में कार्यक्षमता जैसे गठन स्पष्ट विकास मकैनिजम, 11वीं योजना तथा उसके बाद भारतीय ऊर्जा क्षेत्र के गतिशील विकास के लिए मूल निवेष, अन्तर एवं अन्तरा राज्यीय ए बी टी – ऊर्जा बिलिंग, इंडिया कार्बन मार्केट कॉन्कलेव, परियोजनाओं द्वारा कारोबार पर ग्लोबल सिम्पोज़ियम, प्रदेश के लिए कार्बन मार्केट विकास रणनीति, पुनः नवीकरण योग्य ऊर्जा पर अन्तर्राष्ट्रीय कॉग्रेस, ऊर्जा क्रय समझौतों, ज्ञान प्रबन्धन हेतू तकनीक एवं नवाचार तथा खुली पंहुच नीति के तहत IPPs द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा बिक्री के क्षेत्र में प्रशिक्षण, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, बैठकों आदि में भाग लेने हेतू प्रायोजित किया । ये प्रशिक्षण, कार्यक्रम/कार्यशालाएं विभिन्न संस्थाओं, जैसे राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऊर्जा मंत्रालय, इंजीनियरिंग स्टॉफ कालेज ऑफ इण्डिया, एफ.आई.सी.सी.आई, सेंटर फॉर एक्सीलैंस इन प्रोजैक्ट मैनेजमैंट एण्ड प्रोजैक्ट मैनेजमैंट एसोसिएटस, भारतीय सौर ऊर्जा सोसायटी, सी.आई.आर.ई तथा सी.आई.आई द्वारा आयोजित की गई । उन अधिकारियों का जिन्होनें इन प्रशिक्षणों/कानफ्रेंसों/बैठकों में भाग लिया का विवरण परिशिष्ट III पर दिया गया है ।

4.3 कम्पयूटरीकरण

आयोग की दिन प्रतिदिन की कार्य क्षमता बढ़ाने तथा अध्ययन के दृष्टिगत आयोग के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कम्पयूटर उपलब्ध करवाए गये हैं। कम्पयूटरों को लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) के साथ जोड़ा गया है ताकि सूचना का आदान–प्रदान प्रभावी एवं विश्वसनीय रूप से किया जा सके। पूर्व स्थापित कम्पयुटर नेटवर्क को बढ़ाते हुए तथा उन्नयन करते हुए आयोग में दो सर्वर, 32 डैस्कटॉप, 2 लैपटॉप, 14 प्रिंटर तथा एक प्रिंटर कम फोटोकोपियर कम फैक्स के अलावा 1 प्रोजेक्टर, एक दृश्य–श्रव्य सिस्टम तथा अन्य वाह्य हार्डवेयर एवं मानक सॉफ्टवेयर आइटम प्रदान किये गये हैं । LAN को आयोग तथा लोकायुक्त कार्यालय के समीपवर्ती भवन तक भी बढ़ाया गया है ताकि संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग हो सके ।

4.4 वैबसाईट

सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन दी जाने वाली महत्वपूर्ण सूचना और हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के विनियम आदि आयोग की वैबसाईट http://www.hperc.org. में समाविष्ट किये गये हैं, जिनके माध्यम से हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा उपभोक्ताओं तथा अन्य लाभार्थियों के लिए आरम्भ की गई विभिन्न गतिविधियों के बारे में सुलभ जानकारी, विस्तृत प्रचार–प्रसार पारदर्शिता से उपलब्ध करवाई गई है।

5 वर्ष के दौरान गतिविधियां

5.1 कार्मिक और प्रशासन

आयोग के संगठनात्मक उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति के लिए आधिकारी व कर्मचारी मिलकर कार्य करते हैं! कार्मिक तथा प्रशासनिक, लेखा व वित्तीय तथा विधि शाखाएं आयोग के सचिव के अधीन कार्य कर रही हैं, जो कर्मचारियों की भर्ती, वित्तीय सेवाएं, बजट, क्रय एवं प्रापण, अनुरक्षण एवं देख–भाल, कार्मिक प्रशासन, विधि मामले, प्रशिक्षण तथा कार्य मूल्यांकन जैसे क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है। श्री अक्षय सूद एच.ए.एस. 22.01.2008 तक आयोग के सचिव रहे तथा श्री महेश सरकेक निदेशक (टैरिफ इंजिनिरिंग) ने 23.01.2008 से 16.02.2008 तक आयोग के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सम्भाला । 18.02.2008 से श्री बी. एम. नान्टा एच.ए.एस. ने आयोग के सचिव का कार्यभार सम्भाला । प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन हेतु सचिव को एक कार्मिक एवं प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधकारी, तीन वरिष्ठ सहायकों, एक रिकार्ड–कीपर द्वारा सहयोग दिया गया ।

5.2 अधिकारियों/कर्मचारियों के पद सृजन तथा भर्ती

वर्ष के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नौ अतिरिक्त पद हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सृजित किए गए तथा इन पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है । कार्यकारी निदेशक (टैरिफ एनालिसिज़) इंजीनियर एल.एम. शर्मा द्वारा 23.10.2007 की पदमुक्ति के बाद 1.2.2008 को इंजीनियर जे.पी.काल्टा की नियुक्ति की गई । श्री ललित कुमार कुठियाला के हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम में चयन के बाद वरिष्ठ लेखा अधिकारी का पद 4.2.2008 को श्री चन्द्र वर्मा (एस.ए.एस.) की नियुक्ति कर भरा गया । इसी प्रकार, श्री अनिल शर्मा, श्री अजय चडढा, श्री राजीव सिन्धु, उप निदेशकों का आयोग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर क्रमशः 29.8. 2007, 1.9.2007 तथा 19.9.2007 को रिक्त पदों पर नियुक्त किया गया । उप निदेशक (टी.ई.) श्रीमति रिंकु गौतम आयोग में वापसी के बाद पुनः 5.12.2007 को प्रतिनियुक्ति पर डी.ई.आर.सी. चली गई । रिकॉर्ड कीपर के पद पर श्री राज कुमार को प्रतिनियुक्ति के आधार पर 5.11.2007 को नियुक्त किया गया । इसी प्रकार श्री रूम सिंह, चालक ने 1.6.2007 को आयोग में प्रतिनियुक्ति पर पद सम्भाला । कनिष्ठ स्केल स्टेनोग्राफर श्री दिनेश कुमार 14.3.2008 को अपने मूल विभाग को प्रत्यावर्तन किया गया ।

5.3 परामर्शदात्ताओं की सेवाएं

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 91(4) के अधीन आयोग अपनी शर्तों एवं निबन्धन के अनुरूप कार्य निष्पादन हेतु परामर्शदाताओं की नियुक्ति करता है । रिटेनर परामर्शदाता (तकनीकी) श्री एस.के.सूद की विद्युत ओमबडसमैन के पद पर 2.1. 2008 से नियुकित के कारण उनके स्थान पर सेवानिवृत कार्यकारी निदेशक श्री बी. एस. बख्शी की सेवाएं ली गई । इसी प्रकार 6 अगस्त, 2007 से श्री शशि भूषण शर्मा को रिटेनर परामर्शदाता (कम्पयूटर नेटवर्क तथा सर्वर मैनेजमैंट) लगाया गया । श्री एस.के. चानना, सेवानिवृत सदस्य (तकनीकी) हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को भी 15 मार्च, 2008 से रिटेनर परामर्शदाता (तकनीकी) नियुक्त किया गया । इनके अतिरिक्त आयोग ने समय समय पर प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदाओं के आधार पर टैरिफ याचिका के निर्धारण हेतु तथा अन्य मामलों के लिये भी संस्थागत परामर्षदाताओं की सेवाएं ली ।

5.4 उपभोक्ता प्रतिनिधि

विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन उपभोक्ताओं के हितों की पैरवी करने के उद्देश्य से आयोग द्वारा पूर्व में प्राधिकृत श्री प्रेम नाथ भारद्वाज को इस वर्ष पुनः उपभोक्ता प्रतिनिधि के रूप में अनुबन्धित किया गया ।

5.5 विद्युत ओमबड्समैन

श्री एन.आर.गुप्ता ने 07.12.2007 तक विद्युत ओमबड्समैन के पद पर कार्यनिर्वहन करने के उपरान्त अपना 3 साल का कार्य पूर्ण कर कार्यमुक्त हुए । विद्युत अधिनियम, 2003 के सेक्शन 42(6) और हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत ओमबड्समैन) विनियम, 2004 के अधीन 02.01.2008 को आयोग ने विद्युत ओमबडसमैन के पद पर श्री एस.के. सूद को नियुक्त किया । उपभोक्ता की शिकायतों का फोरम द्वारा निराकरण न किए जाने की स्थिति में या उपभोक्ता फोरम द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्व विद्युत ओमबड्मैन के समक्ष उपभोक्ता अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ओमबडसमैन शिकायतों पर या तो अनुबन्ध समझौता या मध्यस्थता करके या विनियमों के अनुसार आदेश जारी करके ऐसे मामलों का निपटारा कर सकता है । ओमबडसमैन को उक्त विनियम की धारा 11, 12 और 13 के अधीन विवादों का अनुबन्ध व अधिनिर्णय करवाकर, उनकी अनुपालना को सुनिश्चित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं । ऐसा व्यक्ति जो विद्युत ओमबडसमैन के आदेश से असंतुष्ट हो, आदेश जारी होने के 45 दिन के भीतर आयोग के समक्ष अपील कर सकता है । वर्ष के दौरान विद्युत ओमबडसमैन के पास 15 याचिकाएं/प्रतिवेदन दायर की गई जिसमें 2 याचिकाएं टैरिफ से सम्बन्धित थी तथा 13 शिकायतें बिलिंग, मीटरिंग और कम वोल्टेज इत्यादि से सम्बन्धित थी । तथा प्रारम्भिक शेष की संख्या 5 थी । बिजली बोर्ड ने विद्युत ओमबडसमैन के समक्ष, बजाये समझौते द्वारा सेटल करने के, केस लड़ना ठीक समझा । 31.12.2007 तक 20 याचिकाओं में से 16 केस विद्युत ओमबैडसमैन द्वारा निपटाये जा चुके थे और 4 केस निर्णय के लिये लंबित थे ।

5.6 पुस्तकालय

पूस्तकालय के लिए आवश्यकतानुसार समय–समय पर विभिन्न पुस्कतें, पत्रीका तथा प्रलेख आदि अप्रेल,2007 से मार्च 2008 की अवधि में खरीदे गए ।

5.7 समाचार पत्र कतरन सेवा

राज्य के अन्दर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र में होने वाली अद्यतन गतिविधियों की आयोग को समयक जानकारी प्रदान करने के लिये कार्यालय में दैनिक समाचार पत्र कतरन सेवा आरम्भ की गई है। इन्हें आयोग के अवलोकनार्थ एवं उपयुक्त कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया ।

5.8 संसद/विधान सभा प्रश्न/विशिष्ट व्यक्ति के संदर्भ में

संसद/विधान सभा प्रश्न तथा विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त संदर्भो का प्राथमिकता के आधार पर निपटान किया गया। विशिष्ट व्यक्तियों, भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग से विभिन्न विद्युत क्षेत्रों पर प्राप्त संदर्भो का प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की गई जिसके परिणाम स्वरूप उन संस्थाओं के साथ कारगर संवाद स्थापित हुआ।

5.9 उपभोक्ता विवादों को निपटाने सम्बन्धी फोरम

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा के उपधारा (5) 42 की धारा 181 के पठन के साथ आयोग ने हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता विवादों को निपटाने सम्बंधी फोरम के गठन हेतु दिशा निर्देश) जारी किये हैं । विनियम 3 के अनुसार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने दोषपूर्ण व अपूर्ण विद्युत आपूर्ति, अयुक्त व्यपार पद्वति अथवा अन्य सम्बन्ध सेवाऐं, अधिक प्रभार अथवा लाइसेंसधारी द्वारा मुल्यवसूली इत्यादि, विद्युत कनेक्षन से सम्बन्धित विवादों को निपटाने के लिये तीन सदस्यीय फोरम का गठन कसुम्पटी शिमला में किया गया है । उपभोक्ता अपनी शिकायतों का फोरम द्वारा निराकरण न किए जाने की स्थिति में या फोरम द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्व 40 दिन के भीतर विद्युत ओमबड्स्मैन के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। राज्य विद्युत परिषद से प्राप्त सूचना अनुसार 01.04.2007 सें 31.12.2007 तक प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

क 0 सं0	शिकायत स्थिति	आपूर्ति में विलम्ब	वेल्टेज की गुणवत्ता	रूकावटें	मैटर संबन्धी समस्याएं	थ्बलिंग समस्याऐं	टैरिफ समस्याऐं	अन्य	कुल
1	विगत वर्ष के अंत तक (31.03.07) लम्बित शिकायतें	-	1	-	1	9	13	3	27
2	रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतें	-	2	-	5	18	79	8	112
3	कुल शिकायतें	-	3	-	6	27	92	11	139
4	रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान ली गई शिकायतें	-	2	-	1	16	31	4	54
5	शेष शिकायतें	-	1	-	5	11	61	7	85
6	3 महीने से अधिक तथा 6 महिनें से लम्बित शिकायतें	-	-	-	-	4	4	4	12

7	6 महिनें से लम्बित शिकायतें	-	1	-	-	7	46	-	54

6 राज्य आयोग उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा विद्युत सम्बन्धी न्यायाधिकरण द्वारा विवादों का अधिनिर्णय

6.1 राज्य आयोग के समक्ष मामले :

आयोग में याचिकाओं, उत्तरों, प्रत्युत्तरों तथा आपत्तियों का अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा परीक्षण किया जाता है । वर्ष 2007–08 के दौरान आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन विभिन्न याचिकादात्ताओं से 89 याचिकाएं प्राप्त हुई जिनमें से 59 याचिकाओं का निर्णय द्वारा निपटान किया गया तथा 31.3.2008 तक 30 याचिकाएं लम्बित पड़ी थी जिनका विवरण परिषिष्ट IV पर दिया गया है।

6.2 माननीय उच्च न्यायालय/विद्युत अपील न्यायाधिकरण, नई दिल्ली तथा उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामलेः

आयोग के कर्मचारी विधिक कार्यों जैसे टिप्पणियॉ तैयार करना और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा अपील न्यायाधिकरण में दायर की जाने वाली याचिकाओं तथा शपथ पत्र तैयार करने में वकीलों से सम्पर्क स्थापित करता है तथा विधिक परामर्श देने के साथ जब जरूरत हो न्यायालय में उतर देने तथा विभिन्न विनियमों को तैयार करने में सहायता देता है और साथ में वह आयोग को लम्बित मामलों की अद्यतन स्थिति से भी अवगत करवाता है ।

श्री नरेश कुमार सूद अधिवक्ता की सेवाऐं उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश में चल रहे मुकदमों में पैरवी के लिए स्टेडिंग कॉसिल कम विधि परामर्शदाता के रूप में रिटेनरशिप फीस के आधार पर जारी रही । श्री सुरेन्दर शर्मा, अधिवक्ता की सेवाऐं भी माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में चल रहे विभिन्न मुकदमों में आयोग का पक्ष रखने के लिए ली गई थी । श्री संजय सेन अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय की सेवाऐं भी आयोग द्वारा विद्युत अपील न्यायाधीकरण नई दिल्ली में कई अपील केसों की पैरवी करने हेतु ली गई ।

वर्ष के दौरान विभिन्न न्यायालयों ने विभिन्न मामलों पर निर्णय लेते हुए कुछ महत्वपूर्ण फैसले दिए । वर्ष 2002 से लम्बित सभी FAO संख्या 489, 490, 491, 492, 493 और 494 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.11.2007

आयोग के आदेशों को निरस्त कर दिया । न्यायालय के इस निर्णय ने टेरिफ निर्देश जारी करने अथवा उसके कार्यान्वयन/अनुपालन सम्बन्धी आयोग के अधिकार क्षेत्र की अथॉरिटी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया तथा आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 में निहित अधिव्यक्त प्रावधान के दृष्टिगत भारत के उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव याचिका दायर कर दी । इसी प्रकार 2002 की FAO 432 में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने 25.5.2007 को उच्च न्यायालय से अपील वापिस ले ली तथा तत्पश्चात इस मामले में अपील संख्या 21/2007 अपील अधिकरण में दायर कर दी । अधिकरण ने दिनांक 16.5.2007 के अपने आदेश में आयोग द्वारा बोर्ड पर 25,000/– रूप्ये का जुर्माना लगाए जाने का समर्थन करते हुए बोर्ड को राज्य आयोग के समक्ष जिस दिन से आयोग के आदेशों की अनुपालना की गई हो, का ब्यौरा देने के निर्देश दिए । बोर्ड ने 25,000/– रूप्ये का जुर्माना आयोग को अदा कर दिया तथा APTELके आदेश की अनुपालना हेतु एक ताजा मामला संख्या 213/07 आयोग में दर्ज किया गया । HPSEB द्वारा दर्ज एक अन्य महत्वपूर्ण अपील संख्या 78/2007 तथा 1A/2007 के मामले में APTEL ने अपने दिनांक 11.9.2007 के निर्णय में कहा कि आयोग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉरमैंस टू आर्बिट्रेशन के उल्लंघन की क्षतिपूर्ति सम्बन्धी याचिकाकर्ता तथा प्रतिवादी के मध्य विवाद का उल्लेख करने की शक्तियां नहीं रखता तथा आयोग के 24.3.2007 के विरोधी आदेश को दर किनार कर दिया गया । तथापि आगे यह निर्देश भी दिया कि आयोग इन आदेशों के एकदम पहले मामलों को जारी रखेगा ।

7 राज्य सलाहकार समिति

आयोग द्वारा दिनांक 1 दिसम्बर, 2007 को जारी अधिसूचना के अधीन राज्य परामर्ष समिति का पुनर्गठन **परिषिष्ट V** के अनुसार किया गया है । समिति के सदस्य वाणिज्य, कृषि, उपभोक्ता, गैर सरकारी संगठन, विद्युत उद्योग इत्यादि से सम्बन्धित समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं । राज्य के उपभोक्ता मामले व लोक वितरण प्रणाली विभाग के सचिव भी इस समिति के पदेन सदस्य हैं । राज्य आयोग के अध्यक्ष इस समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा आयोग के सचिव समिति के कार्य संचालन प्रभारी हैं। राज्य परामर्श समिति की छटी बैठक 31.03.2008 को थी परन्तु कोरम पूरा न हाने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा ।

8 वित्त एवं लेखा

8.1 वित्त

वित्त वर्ष 2007–08 के लिए आयोग को मुख्य लेखा शीर्ष 2801:80:800:02 के तहत 81.17 लाख रूपये का आरम्भिक (मूल) विनियोजन आबंटित किया गया । तथापि वर्ष के मध्य में सरकार द्वारा SOE वार बजट को एकमुश्त अनुदान राशि में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया । उपरोक्त निर्णय के दृष्टिगत वित्त वर्ष

2007–08 में आयोग की कुल उच्चतम सीमा 8.83 लाख रूपए के अतिरिक्त प्रावधान से 90.00 लाख रूपए तक बढ़ गई । उपरोक्त मुख्य शीर्ष के विभिन्न SOE के अंतर्गत बजट आबंटन तथा व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :–

SOEs	विवरण	टारम्भिक विनियोजन	FD द्वारा अतिरिक्तता	संशोधित अनुदान	कुल व्यय	अधिकता / त्याग
01	वेतन	62.94	0.00	62.94	86.20	(+)23.26
02	मजुरी	0.24	0.00	0.24	0.00	(-)0.24
03	टी0ए0	0.06	0.00	0.06	0.04	(-)0.02
05	कार्यालय खर्च	8.62	0.00	8.62	8.62	0.00
06	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.26	0.00	0.26	0.26	0.00
07	किराया, दर एवं कर	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
10	आतिथ्य एवं मनोरंजन	0.02	0.00	0.02	0.00	(-)0.02
12	व्यवसायिक एवं विशेष खर्च	5.00	0.00	5.00	3.42	(-)1.58
30	मेटर वाहन	1.03	0.00	1.03	1.03	0.00
41	अनुदान राशि		8.83	8.83	8.83	0.00
	कुल	81.17	8.83	90.00	111.40	(+)21.40

इसके अतिरिक्त, आयोग का अपना कोष भी स्थापित किया गया तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या MPP.A(3)-7/2004 दिनांक 3.5.2007 के अनुसार प्रभाव में आया तथा इस निधि में से 32.85 लाख रूपय विभिन्न घटकों के तहत खर्च किए गए तथा बजट आबंटन घाटा पूरा करते हुए आयोग द्वारा कुल 147.25 लाख रूपये व्यय किए गए । यद्यपि, उपरोक्त आंकड़े मिलान तथा अन्तिम समायोजन पर निर्भर करते हैं ।

8.2 आयोग की प्राप्तियां

वर्ष 2007–08 के दौरान 4.72 करोड़ रूपये की राशि शुल्क, दण्ड प्रभार तथा अन्य विविध प्राप्तियों के रूप में प्राप्त हुई जिसे आयोग के बैंक खाते में जमा करवाया गया, जो कि निधि नियमों प्रावधानोंअनुसार परिचालित किया जा रहा है । (इस राशि में वर्ष 2008–09 के लिए 1.25 करोड़ रूपये का संचरण एवं आबंटन शुल्क भी शामिल है) 31.3.2008 तक आयोग के बैंक खाते में 9.35 करोड़ रूपए की राशि

उपलब्ध थी । राज्य विद्युत विनियामक निधि से सम्बन्धित अधिसूचना राज्य सरकार ने 2007–08 के मध्य में जारी की अतः आयोग के वित्तीय कार्यसंचालन हेतू इस साल भी दोहरी प्रणाली ट्रेजरी एवं बैक के माध्यम से जारी रही ।

8.3 राज्य आयोग के लेखे तथा लेखा परीक्षाः

वर्ष 2007–08 के लिए आयोग की लेखा परीक्षा अभी हिमालच प्रदेश महालेखाकार कार्यालय द्वारा की जानी है ।

यद्यपि पुराने पैरों की स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :–

बकाया पैरों का विवरण

क्रम सं0	वर्ष	पुराने तथा नये पैरों की संख्या	वर्ष 2007–08 तक निपटाये गये पैरे	बकाया पैरों की संख्या
01	2003–04	08	08	-
02	2004–05	08	06	02
03	2005–06	05	01	04
04	2006–07	08	-	08
	योग	**29**	**15**	**14**

8.3.1 आयोग के लेखों की विधान सभा में प्रस्तुतिः

आयोग के फंड नियम व प्रारूप को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण पिछले वर्ष का लेखा तैयार नहीं हो सका । अब आयोग के फंड की सीापना तथा फंड नियम की अधिसूचना संख्या MPP.A(3)-7/2004 दिनांक 3.5.2007 के परिणामस्वरूप आयोग का वर्ष 2007–08 का वार्षिक लेखा फंड नियमों तथा लेखों में प्रावधान के अनुसार तैयार किया जा रहा है तथा ऑडिट रिपोर्ट सहित CAG द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखे विधान सभा पटल पर HPERC फंड नियम 7(4) तहत 31.12.2008 या उससे पहले राज्य सरकार को प्रेषित कर दिए जाएंगे ।

9. तकनीकी/विनियामक/टैरिफ मामले

9.1 तकनीकी विष्लेषण (टी.ए.) प्रभाग–

तकनीकी विष्लेषण प्रभाग कार्यकारी निदेषक (टी.ए.) के अधीन कार्य कर रहा है। तकनीकी विष्लेषण प्रभाग लागत आवंटन तथा रेट डिजाईन प्रपोजल तैयार करने, उनकी समीक्षा करने, संचारण एवं वितरण क्षति का आंकलन तथा विष्लेषण, तकनीकी निष्पादन तथा सेवा मानकों का मूल्यांकन, लोड फोरकास्ट, विद्युत क्रय अनुबंधों, ग्रिडकोड, वितरण कोड, आपूर्ति कोड से सम्बन्धित कार्य करता है। प्रभाग को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अधीन आयोग द्वारा बनाये जाने वाले विनियमों को तैयार करने का दायित्व भी सौंपा गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त यह प्रभाग आई.टी. अनुभाग का कार्य भी देखता है। आई.टी. अनुभाग सिस्टम प्रषासन, डिज़ाइन, आयोग की वैबसाईट के विकास, कम्पयूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का रख–रखाव, न्यायालय सम्बन्धी कार्यवाही हेतु आडियो विडियो रिकार्डिंग करना, नियमित बैकअप, दस्तावेजों का सम्पादन तथा मुद्रण, कम्पयूटर प्रषिक्षण, इन्टरनेट से सूचना प्राप्त कर उसे डॉऊन लोड करना, कार्यालय के लिए नवीन आई.टी. आवष्यकताओं का मूल्यांकन, नेटवर्किंग तथा इंटरनेट सम्बन्धी कार्य करता है। वर्ष के दौरान प्रभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गये :

9.1.1 **विनियम बनाना**:

विद्युत अधिनियम 2003 के अनुरूप आयोग ने वर्ष 2006–2007 में निम्निलिखित विनियम जारी किए :–

- हि0 प्र0 विनियामक आयोग (रिन्यूएबल स्त्रोतों से विद्युत प्राप्ति था वितरण लाइसेंसधारी द्वारा सह उत्पादन) विनियम, 2007।

  21.6.2007 को हिमाचल प्रदेश राजपत्र में अधिसूचित विनियमों में हिमाचल प्रदेश में ऊर्जा के रिन्यूएबल स्त्रोतों से प्राप्त ऊर्जा का आयात–निर्यात शुल्क निर्धारण सम्बन्धी उल्लेख है ।

- हि0 प्र0 विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसमिशन टैरिफ निर्धारण हेतु शर्तें एवं निबन्धन) विनियम, 2007।

17.10.2007 को हिमाचल प्रदेश राजपत्र में अधिसूचित विनियमों में मार्गदर्शी सिद्धान्तों, कुल राजस्व आवश्यकता निर्धारण हेतु सिद्धान्त, ट्रांसमिशन टैरिफ/खर्च, राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र शुल्क एवं खर्च, बहु वर्षीय टेरिफ फाइलिंग प्रक्रिया आदि निर्धारण हेतु सिद्धान्तों का उल्लेख है ।

- हि0 प्र0 विद्युत विनियामक आयोग (व्हीलिंग टैरिफ तथा रिटेल सप्लाई निर्धारण हेतु शर्तें एवं निबन्धन) विनियम, 2007।

  15.12.2007 को हिमाचल प्रदेश राजपत्र में अधिसूचित विनियमों में टैरिफ निर्धारण हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों, कुल राजस्व आवश्यकता निर्धारण हेतु सिद्धान्तों, बहुवर्षीय टैरिफ फाइलिंग प्रक्रिया एवं उपदान आदि का उल्लेख है ।

- हि0 प्र0 विद्युत विनियामक आयोग (जल विद्युत उत्पादन टैरिफ) विनियम, 2007।

  ये विनियम 17.10.2007 को हिमाचल प्रदेश राजपत्र में अधिसूचित किए गए थे । इनमें जल विद्युत उत्पादन टैरिफ के निर्धारण सम्बन्धी सिद्धान्तों, जल विद्युत उत्पादन स्टेशनों में विभिन्न मानकों, बहुवर्षीय टेरिफ फाइलिंग प्रक्रिया इत्यादि का उल्लेख है ।

9.1.2 विनियमों का संशोधन.– विनियमों को बनाने के अतिरिक्त आयोग द्वारा आवश्यतानुसार मौजूदा विनियमों में संशोधन भी किया गया है । वर्ष 2007–08 में किए गए संशोधन इस प्रकार हैं :–

- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओमबडसमैन) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2008 जो ———————— को अधिसूचित किया गया था।

- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाइसेंसधारकों के लिए मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम 2008

- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2008

- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओमबडसमैन की नियुक्ति हेतू शर्तें एवं निबन्धन) (प्रथम संशोधन) आदेश, 2007

- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (रिन्यूएबल स्त्रोत से ऊर्जा प्राप्ति तथा वितरण लाइसेंसधारक द्वारा सह उत्पादन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2007

- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओमबडसमैन) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2007

9.1.3 कोड व मानकः

ग्रिड कोड को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है । हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण कोड, 2007 का प्रारूप हिमाचल प्रदेश राजपत्र में 8.11.2007 को प्रकाशित हुआ तथा स्अेकहोल्डर्ज की टिप्पणी प्रतीक्षित है ।

9.1.4 विद्युत क्रय स्वीकृतियां

वर्ष 2007–08 में आयोग द्वारा प्राप्त अनुबन्धों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण नीचे दिया गया है । कमीशन द्वारा स्वीकृत मॉडल विद्युत क्रय अनुबन्ध की सूची :–

LIST OF MODEL PPA APPROVED BY THE COMMISSION

Sr. No.	Name of the Project	Name of Developer	Installed capacity in MW	District in which located	Date of approval of PPA by the Commission
1.	Maujhi-II	Dharamshala Hydro Power Ltd., Plot No.30 A, Road No.1, Film Nagar, Jubilee Hills, Hyderabad-500 033	5	Kangra	27.4.2007
2.	Marhi	Sai Engineering Foundation, Sai Bhawan, Sector-IV, New Shimla-9	5	Kullu	5.5.2007
3.	Shyang	Sai Engineering Foundation, Sai Bhawan, Sector-IV, New Shimla-9	3	Kinnaur	5.5.2007
4.	Ubharah	Shakti Hydro Electric Company Pvt. Ltd., 204, Madan Lal Block, Asiad Village, Khel Gaon, New Delhi-1100 49	2.4	Chamba	5.5.2007
5.	Palor-II	Mangalam Energy Development Co. Pvt. Ltd., 8C/6, 2nd Floor, W.E.A., Abdul Aziz Road, Karol Bagh, New Delhi-1100 05	4.5	Sirmour	31.5.2007
6.	Purthi	H.P. Govt. Energy Development Agency(HIMURJA), Block No.8A, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009	0.1	Chamba	1.6.2007
7.	Sural	H.P. Govt. Energy Development Agency(HIMURJA), Block No.8A, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009	0.1	Chamba	1.6.2007
8.	Gharola	H.P. Govt. Energy Development Agency (HIMURJA), Block No.8A, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009	0.1	Chamba	1.6.2007
9.	Chakshi	Puri Oil Mills Ltd.,	2	Kullu	13.6.2007

		302, Jyoti Shikhar Building, 8, District Centre, Janak Puri, New Delhi			
10.	Gaj-II	Raheja Hydel Power Pvt. Ltd., B-27(a), Sushant Lok, Phase-I,Gurgaon-122 001	1.5	Kangra	18.6.2007
11.	Chhor	Watermillers Power Company Pvt. Ltd., C/O Babloo Offset Printers, Shamshi, Kullu(HP)	1	Kullu	18.6.2007
12.	Binua_Parai	Anubhav Hydel Power Pvt Ltd., Plot No.226, Road No.78, Phase-III, Jubilee Hills, Hyderabad-500033 thro S.N.Kapur,B-7,Phase-I, MainRd., Sec-I, N. Shimla	5	Kangra	21.11.2007
13.	Anni-II	ABB Power Private Ltd., SDR Capital, 401, Mohta Bldg.,4, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066	1.5	Kullu	21.11.2007
14.	Baragran	K.K.K.Hydro Power Ltd.,1-41, Indl.Area,Phase-I,Faridabad-121003	4.9	Kullu	4.12.2007
15.	Nera	Himgiri Jal Vidyut Pvt.Ltd., 8/9, SarvapriyaVihar, New Delhi-110016	1.6	Sirmour	6.12.2007
16.	Chirchind	M/s Chirchind Hydro Power Ltd.	5	Chamba	31.1.2008
17.	Lower Uhl	M/s Trident Power System Ltd	5	Mandi	31.1.2008
18.	Kurhed	M/S Himachal Hydel Projects Pvt.Ltd.	4.5	Chamba	25.2.2008
19.	Tulang	M/S Himachal Hydel Projects Pvt.Ltd.	3	Chamba	25.2.2008
20.	Panwi	M/s Accent Hydro Projects Ltd., Tajpal Scheme, Road No.5, Ville Parle(East), Mumbai-400 057	4	Kinnaur	13.3.2008
21.	Melan	M/s Accent Hydro	4.5	Kinnaur	11.3.2008

		Projects Ltd., Tajpal Scheme, Road No.5, Ville Parle(East), Mumbai-400 057			
22.	Taraila-II	M/s Tarailla Power Ltd., Plot No.125, Road No.71, Nar Nirman Nagar, Jubillee Hills, Hyderabad-500 033	5	Chamba	31.3.2008

9.1.5 प्राप्त दस्तावेजों का विश्लेषणः

केन्द्रीय विनियामक आयोग, विनियामकों के फोरम, ऊर्जा मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकार से प्राप्त दस्तावेजों का भी इस प्रभाग द्वारा विश्लेषण कर आयोग को प्रस्तुत किया गया गया तथा आयोग के विचार उन्हें समय–समय पर भेज दिये ।

9.1.6 कॉस्ट डाटा का अनुमोदनः

विद्युत आपूर्ति हेतु व्यय की वसूली के विनियमों के विनियम 13 के अर्न्तगत ई एच वी एच वी तथा एल टी मशीनरी हेतु 2007–08 के लिए बोर्ड द्वारा प्रस्तुत कॉस्ट डेटा आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया ।

9.2 टैरीफ तथा वित्तीय विष्लेषण (टी.एफ.ए.) प्रभागः

टैरीफ तथा वित्तीय विष्लेषण प्रभाग श्री बी०एस० बक्षी कार्यकारी निदेषक (टी.एफ. ए.) के अधीन कार्य कर रहा है। यह प्रभाग विद्युत उत्पादन/संचारण एवं वितरण, ऊर्जा क्रय अनुबन्धों की जांच, दीर्घ कालिक टेरिफ सैंटिंग योजना, टैरिफ प्रक्रिया हेतु वित्तीय एवं आर्थिक विष्लेषण, वाणिज्यिक एवं वित्तीय मानक लागू करना, वित्तीय निष्पादन की समीक्षा तथा अनुपालन रिर्पोट तैयार करने के अतिरिक्त वित्तीय जांच–पड़ताल तथा विद्युत उपयोग संवीक्षा के लिए उत्तरदायी है। यह तकनीकी संवीक्षा प्रभाग के साथ भी सहयोग करता है । आयोग की सभी कार्यवाहियों में भाग लेना तथा समस्त निवेष की समीक्षा तथा अनुमोदन में सहायता करना भी इसका कार्य है। यह प्रभाग आयोग के उपभोक्ता मामलों सम्बन्धी कार्य भी देखता है।

9.2.1 विनियम बनानाः

वर्ष 2007–08 में आयोग ने निम्न विनियम जारी किए गए –

- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (जल विद्युत उत्पादन टैरिफ निर्धारण हेतु शर्तें एवं निबन्धन) विनियम 2007
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांस्मिशन टैरिफ निर्धारण हेतु शतें एवं निबन्धन) विनियम 2007
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (व्हीलिंग टैरिफ एवं रिटेल आपूर्ति टैरिफ निर्धारण हेतु शर्तें एवं निबन्धन) विनियम 2007
- 10.11.2007 को हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित विनियम टैरिफ निर्धारण हेतु सामान्य मार्गदर्शक सिद्वान्तों, कुल राजस्व आवश्यकता (ARR) निर्धारण हेतु सिद्वान्तों तथा बहुवर्षीय टैरिफ फाइलिंग क्रया का उल्लेख करता है ।

9.2.2 उत्तरांचल जल विद्युत निगम लिमिटिड द्वारा दायर शुल्क याचिकाः

उत्तरांचल जल विद्युत निगम लिमिटिड (यू.जे.वी.एन.एल.) द्वारा 2003–04 में वर्ष 2004–05 के लिए पांच जल विद्युत स्टेषनों अर्थात चिबरो, खोडरी, धकरानी, धालीपुर तथा कुलहाल से हिमाचल प्रदेष को दी जाने वाली बिजली के सम्बन्ध में शुल्क निर्धारण हेतु याचिका दायर की गई थी।

आयोग द्वारा अन्तरिम आदेष जारी किया गया जिसमें यू.जे.वी.एन.एल. को निर्देष दिए गये कि मामले के अन्तिम निर्णय होने तक वह हिमाचल प्रदेष राज्य विद्युत बोर्ड को 37 पैसे प्रति युनिट के अस्थाई दर से बिल दें। यह आदेष इसलिये जारी किये गये चूंकि इन बिजली घरों से उत्तरांचल में दी जाने वाली बिजली के शुल्क निर्धारण को उत्तरांचल जल विद्युत निगम द्वारा राष्ट्रीय बिजली ट्राइब्यूनल व

उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। इस लिये इस याचिका का निपटारा नहीं किया गया ।

9.2.3 हिमाचल प्रदेश राज्य विनियामक आयोग का वर्ष 2007–08 की वार्षिक राजस्व मांग तथा टैरिफ का निर्धारणः

आयोग ने हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की याचिका पर बोर्ड के लिए राज्य मांग निर्धारित की तथा वर्ष 2007–08 के लिए 16 अप्रेल,2007 को विनियम के तहत निर्धारित आवश्यक प्रक्रिया से टैरिफ स्वीकृत किया ।

वर्ष 2007–08 में आयोग ने कुल 241.13 करोड़ रूपये का राजस्व अन्तर रखतें हुए 1831.43 करोड़ रूपये स्वीकृत किए । यह अनुमान लगाया गया कि राज्य से बाहर बिजली बेचने पर 243.18 करोड. रूपये का राजस्व प्राप्त होगा जिससे 2.04 करोड़ रूपये की बचत हेागी । आयोग ने इस बचत का आबंटन बोर्ड के विकास हेतु किया । इस राशि का प्रयोग बोर्ड के कर्मचारियो के प्रशिक्षण (0.50 करोड़ रूप्ये) तथा वी. आर.एस कार्यक्रम (1.54 करोड़ रूपये) पर किया जाएगा । वित्त वर्ष 2007 के लिए टैरिफ आदेश अयोग ने 3 करोड़ रूप्ये का आबंटन वी. आर.एस कार्यक्रम के लिए किया ।

अपने आदेश में आयोग ने क्षेत्र में सुधार हेतु संकेत दिये है । टैरिफ आदेश की मुख्य बाते निम्नलिखित है ।

a) बी.पी.एल. परिवारों के लिए 1.85 रूपये प्रति युनिट टैरिफ का निर्धारण जो कि 3.68 करोड़ औसतन आपूर्ति लागत का आधा है ।

b) पावर इन्टेन्सिव युनिटों को राहत देने हेतु मांग शुल्क में छूट ।

c) स्ट्रीट लाइट तथा अस्थाई मीटर आपूर्ति के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं ।

d) उर्जा खरीद मूल्य में अत्याधिक बढ़ोतरी के बावजूद बड़े उद्योगों के लिए 15 पैसे तथा छोटे उद्याोगो के लिए 10 पैसे की बृद्वि की गई है ।

e) कुछ अन्य श्रेणियों में टैरिफ में मात्र 10 पैसे की वृद्वि ।

f) सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, डिस्पेन्सरीज़ तथा पशु अस्पतालों को गैर घरेलू गैर व्यावसायिक आपूर्ति अनुसूची में शामिल करना ।

g) फेरों मैग्नीज़ फेरोक्रोम, सोडियम मेटल, कास्टिक सोडा, कैल्सियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, पोटाशियम/सोडियम कलोरेट प्लांटस की उर्जा इन्टेन्सिव उद्योग में शामिल करना ।

h) आयोग ने टैरिफ आदेशों में 13 निर्देश दिए है जिनमें आगामी वर्ष से प्रदेश मल्टी इयर टेरिफ ushering in MYT (Multi Year Tariff) regime ये निर्देश अनबंडलिंग आफ कॉस्ट, डाटाबेस मेनेजमेन्ट एवं एम.आई.एस. आपूर्ति की गुणवता, बेंचमार्क अध्ययन, मेनपॉवर प्लानिंग आगामी 5 वर्षों के लिए व्यापार योजना तैयार करने, निवेश योजना, एस.सी.ए.डी.ए कार्यान्वयन, हार्मोनिक्स का मापन तथा बिलिंग एवं एकत्रीकरण को स्ट्रीमलाइन करने से सम्बन्धित है ।

i) आयोग द्वारा बोर्ड को औद्योगिक क्षेत्र में ढांचागत नवीकरण योग्य विकास, बोर्ड को अपनी परियोजनाओं तथा टैरिफ सम्बन्धी मामलो को कम करने की सलाह दी गई । राज्य सरकार को बोर्ड की बेंलेंसशीट को स्पष्ट करने के लिए प्रक्रिया आरम्भ करने का परामर्श भी दिया गया । सरकार को बोर्ड की ट्रांसमिशन ढांचागत योजनाऐं विभिन्न एंजिंसियों ए.डी.बी./विश्व बैंक के सहयोग से सीापित करने

हेतु भी प्रोतसाहित करना चाहिए, जल नीति को अधिनियम के अनुकूल बनाने हेतु इसका पुनः अवलोकन की भी आवश्यकता है ताकि इसे निवेशकर्ता के लिए मैत्रीपूर्ण बनाया जा सके विशेषकर रिन्यूएबलज़ के सम्बन्ध में ।

9.3 वर्ष 2006–07 की कार्यसूची में हुई प्रगति

हिमाचल प्रदेश विद्युत ग्रिड, वितरण एवं आपूर्ति कोड तैयार करना : हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण कोड 2007 हि0प्र0 राजपत्र में प्रकाशित किया गया तथा स्टेकहोल्डरर्ज़ की टिप्पणियां प्रतीक्षित है । हि0प्र0 विद्युत ग्रिड कोड अप्रेल 2008 तक तैयार हो जाएगा जबकि आपूर्ति कोड का प्रारूप आन्तरिक परिचालन, चर्चा एवं अन्तिम रूप देने हेतु तैयार किये गए है ।

- विद्युत अधिनियम 2003 के तहत विनियम को अन्तिम रूप देना :
  वित्त वर्ष 2006–07 में आयोग ने 4 विनियम तथा 7 संशोधित विनियमों को अन्तिम रूप दिया तथा अधिसूचित किया ।

- ट्रांसमिशन एवं वितरण घाटा अध्ययनः
  नई दिल्ली के0एल0जी0 सिस्टल को दी गई ट्रांसमिशन तथा वितरण घाटों की जांच रिर्पोट प्राप्त हो गई है तथा आयोग द्वारा जांची जा रही है ।
- उर्जा खरीद समझौतों की समीक्षा एवं अनुमोदन :
  वित्त वर्ष 2007–08 आयोग द्वारा 68.7 मेगावॉट कुल स्थापित क्षमता की 22 पी.पी.ए. के निष्पादन हेतु सहमति प्रदान की गई ।

10. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना

वर्ष के दौरान सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 2 याचिकाएं प्राप्त की गई जिनका निर्धारित समय में निपटारा कर दिया गया। सूचना के अधिकार, 2005 की धारा 4(1) (b) के तहत वांछित अपडेटिड सूचना आयोग की बेवसाईट पर उपलब्ध है । आयोग ये सम्बन्धित सूचना और अन्य सम्बद्ध गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है :–

10.1 संगठन की विषिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

10.1.1 संगठन

कृप्या क्रम सं0 1 शीर्षक "परिचय" और क्रम सं. 2 शीर्षक "आयोग एवं इसका सचिवालय" को देखें ।

10.1.2 आयोग के कार्य और कर्तव्य ;

कृप्या क्रम सं0 3 शीर्षक "आयोग के कार्य" को देखें ।

10.2 आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

आयोग अपना कार्य तीन प्रभागों नामतः प्रषासनिक एवं विधि, तकनीकी विष्लेषण और टैरिफ एवं वित्तीय विष्लेषण के द्वारा कर रहा है, जिनके कर्तव्य और जिम्मेवारियां निम्न प्रकार हैं :–

– प्रषासनिक, वित्तीय एवं विधि विभाग

कृप्या क्रम सं. 5.1 शीर्षक "प्रषासन" देखें ।

– तकनीकी विष्लेषण प्रभाग

कृप्या क्रम सं. 9 शीर्षक "तकनीकी/विनियामक/टैरिफ विष्लेषण मामले" को देखें ।

– टैरिफ और वित्तीय विष्लेषण प्रभाग

कृप्या क्रम सं. 9 शीर्षक "विनियामक/टैरिफ विष्लेषण मामले" को देखें ।

10.3 विनिष्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं ;

10.3.1 आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य/कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिये लम्बवत प्रणाली अपनाई गई है और मुख्य निर्णय आयोग स्तर पर लिये जाते हैं ।

10.3.2 आयोग के समक्ष कार्यवाही करने के लिये कार्यविधि हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 2005 के अध्याय –II में निर्दिष्ट है।

10.4 आयोग द्वारा इसके कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान ;

आयोग द्वारा इसके कृत्यों के निर्वहन के लिये कोई विषिष्ट मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं । नामावली में दिये गये कर्मचारी और हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (परामर्षदाता की नियुक्ति) विनियम, 2005 के अनुसार नियुक्त किये परामर्षदाता आयोग को उसके कार्यों का निर्वाह करने में सहयोग कर रहे हैं।

10.5 अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेष, निदेर्षिका और अभिलेख ;

10.5.1 नियम और विनियम

10.5.1.1 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 राज्य विद्युत विनियामक आयोग को इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिये विनियम बनाने की शक्तियां प्रदान करता है । धारा 180 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए जाने की जरूरत है । विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 में भी इस प्रकार का प्रावधान है ।

10.5.1.2 हिमाचल प्रदेष आयोग द्वारा बनाये गये विनियमों का अद्यतन ब्यौरा निम्नानुसार है :–

Sr. No.	Description of Regulations	Date of Notification/ Publication in Rajpatra
1.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulations, 2003	23.10.2003
a.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) (First Amendment) Regulations, 2004	21.06.2004

b.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) (Second Amendment) Regulations, 2005	18.05.2005
c.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) (Third Amendment) Regulations, 2005	20.12.2005
d.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) (Fourth Amendment) Regulations, 2007	25.08.2007
e.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) (Fifth Amendment) Regulations, 2008	27.02.2008
2.	Himachal Pradesh Electricity Ombudsman (Terms and Conditions of Service of Officers and Employees) Regulations, 2004.	05.04.2004
3.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff) Regulations, 2004	09.06.2004
4.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (General Conditions of Distribution Licensee) Regulations, 2004	09.06.2004
a.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (General Conditions of Distribution Licence) (First Amendment) Regulations, 2005.	22.02.2005
5.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Electricity Ombudsman) Regulations, 2004.	19.04.2004
a.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Electricity Ombudsman) (First Amendment) Regulations, 2005	19.01.2005
b.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Electricity Ombudsman) (Second Amendment) Regulations, 2005	20.12.2005
c.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Electricity Ombudsman) (Third Amendment) Regulations, 2007	20.08.2007
d.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Electricity Ombudsman) (Fourth Amendment) Regulations, 2008	29.02.2008
6.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Appointment of the Electricity Ombudsman) Order, 2004	11.5.2004
a.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Appointment of the Electricity Ombudsman) (First amendment) Order, 2007	26.11.2007
7.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (General Conditions of Transmission Licence) Regulations, 2004	11.06.2004
a.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (General Conditions of Transmission Licence) (First Amendment) Regulations, 2005	22.02.2005
8.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (General Conditions of Trading Licence) Regulations, 2004	11.06.2004
a.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (General	22.02.2005

	Conditions of Trading Licence) (First Amendment) Regulations, 2005.	
9.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (State Advisory Committee) Regulations, 2004	22.06.2004
10.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Licensee's Duty for Supply of Electricity on Request) Regulations, 2004	22.06.2004
11	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2001.	23.4.2001
a.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) (First Amendment) Regulations, 2003.	10.7.2003
12.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2005.	14.01.2005
a.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) (Third Amendment) Regulations, 2008	14.01.2008
13.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Manner of Service and Publication of Notice by the State Commission) Regulations, 2005.	24.03.2005
14.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) Regulations, 2005	24.03.2005
15.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Procedure for filing appeal before the Appellate Authority) Regulations, 2005	24.03.2005
16.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Security Deposit) [Removal of Difficulties] (First) Order, 2005	30.03.2005
17.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Approval of Hydro Electric Projects in the State of Himachal Pradesh) Directions, 2005	06.04.2005
18.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2005	03.06.2005
19.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations, 2005.	25.07.2005
20.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Security Deposit) [Removal of Difficulties] (First) Order, 2005	06.10.2005
21.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Distribution Licensees' Standards of Performance) Regulations, 2005	31.10.2005
22.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) Regulations, 2005	31.10.2005
a.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission(Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) (First Amendment) Regulations, 2005	09.12.2005
b.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission(Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) (Second Amendment) Regulations, 2006	21.08.2006
23	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines and Formats for Tariff Filing) Regulations, 2005.	31.10.2005

24	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Treatment of Income of Other Businesses of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations 2005	02.12.2005
25	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Charges for Transmission, Wheeling and Intervening Facilities and Fees and Charges to be collected by the State Load Despatch Centre) Regulations, 2006	16.09.2006
26	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cross Subsidy Surcharge, Additional Surcharge and Phasing of Cross Subsidy) Regulations, 2006	07.12.2006
27.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Power Procurement from Renewable Sources and Co-generation by Distribution Licensee) Regulations, 2007	21.06.2007
a.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Power Procurement from Renewal and Co-generation by Distribution Licensee) (First Amendment) Regulations, 2007	16.11.2007
28.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Wheeling Tariff and Retail Supply Tariff) Regulations, 2007.	15.10.2007
29.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Hydro Generation Tariff) Regulations, 2007.	17.10.2007
30.	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Transmission Tariff) Regulations, 2007.	17.10.2007

इन विनियमों को आयोग की बैबसाइट पर देखा जा सकता है ।

10.5.2 निर्देष, नियमावली और अभिलेख

उपरोक्त विनियमों के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग द्वारा इसके कार्य निर्वहन को सुगम बनाने के लिये निम्नलिखित दिषा निर्देष/ आदेष/धारणा पत्र अधिसूचित किये गये हैं :–

1. Guidelines for load forecast, Resource Planning and Power Procurement Process.
2. Concept paper on reorganization and restructuring HPSEB.
3. Directions for the Approval of Hydro Electric Projects in the State of Himachal Pradesh, 2005.

10.6 ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण ;

10.6.1 आयोग द्वारा इसके अधीन अनुरक्षित दस्तावेजों का वर्गीकरण इस प्रकार से हैः–

(i) the petitions filed by the various agencies and consumers on matters falling in the ambit of the functions assigned to the Commission and Orders issued thereof.

(ii) matters on which the statutory advice to the State Government has been given under sub-section 2 of Section 86 of the Electricity Act,2003,

(iii) Investigation of matters under Section 128 of the Act.

(iv) Correspondence on appointment of consultants engaged by the Commission for providing assistance on determination of generation, transmission, Bulk and retail supply tariffs, various studies for HPSEB, preparation of regulations, legal and technical assistance etc.

10.7 किसी व्यवस्था की विषिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यायनवन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्ष के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है ;

10.7.1 आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94 की उप धारा (3) के अनुसार आयोग के समक्ष ही उपभोक्ता हितों हेतु बिजली बोर्ड के एक रिटायर्ड इंजीनियर, श्री पी. एन. भारद्वाज को नियुक्त किया गया है । इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा बनाये गये रेगुलेषनज/दिषानिर्देषों को अंतिम रूप देने से पहले समय समय पर ड्राफट विनियम/ दिषानिर्देषों पर टिप्पणियां और सुझाव समाचार पत्रों/गजट के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं ।

10.8 ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता मे लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, का विवरण ;

कृप्या क्रम संख्या 7 शीर्षकयुक्त "राज्य सलाहकार समिति" देखें ।

10.9 आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देषिका ;

10.9.1 हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग, क्योंथल व्यावसायिक परिसर, खलिणी, षिमला –171002 की दूरभाष विवरणिका

EPABX: 2627263, 2627907, 2627908

FAX: 2627162

E-MAIL: **hperc@rediffmail.com**

WEBSITE: http://www.hperc.org.

10.9.2 आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दूरभाष निर्देषिका

Sr. NO	NAME	DESIGNATION	OFF.NO	RES.NO.
1.	Sh. Yogesh Khanna	Chairman	2627262	2655082
2.	Sh. B.M. Nanta	Secretary	2621003	2657777
3.	Sh. J.P. Kalta	Executive Director (TA)	2627983	2673481
4.	Sh. Mahesh Sirkek	Director (Tariff Engineering)	Extn.-306	2811633
5.	Sh. R.S.Jalta	Director (T&D)	Extn.-305	2670596
6.	Sh. Neeta Gautam	Deputy Director	Extn.-319	2624618
7.	Sh. Anil Sharma	Deputy Director	Extn.-309	2807300
8.	Sh. Ajay Chadha	Deputy Director	Extn.-322	2657452
9.	Sh. Rajiv Sindhu	Deputy Director	Extn.-320	2811797
10.	Sh. J.S.Raitka	Personnel & Admn. Officer	Extn.-318	2674033
11.	Sh. Chander Verma	Sr. Accounts Officer	Extn.-315	94180-11720
12.	Sh. Vakil Singh	Private Secretary	2627262	2806208
13.	Sh. Mohinder Singh	P.A.	2621003	2837249
14.	Sh. Satish Gharu	P.A	2627978	2623477
15.	Sh. Ajay Kaushish	P.A.	2627263	2805744
16.	Sh. B.S.Kanwar	Sr.S.S.	2627262	94180-69569
17.	Sh. Sushil Kashyap	Sr.Assistant	Extn.-316	2842831

18.	Mrs. Rama Mahajan	Sr. Assistant	Extn.-312	2674858
19.	Sh. Kamal Dilaik	Sr. Assistant	Extn.-311	2628025
20..	Mrs. Gurvinder Kaur	Sr.Scale.S.	Extn.-314	2837118
21.	Sh. Raj Kumar	Record Keeper	Extn.-321	--
22.	Sh. Om Parkash	Driver	--	2838248
23.	Sh. Ramesh Chand	Driver	--	98160-41592
24.	Sh. Room Singh	Driver	--	98160-02465
25.	Sh. Man Mohan	Peon	--	2624013
26.	Sh. Kishori Lal	Peon	--	2626745
27.	Sh. Med Ram	Peon	--	98160-21866
28.	Sh. Jagat Ram	Clerk	--	--

10.10 प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा मासिक पारिश्रमिक जिसके अर्न्तगत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो ;

10.10.1 प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की कुल मासिक आय का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

Sr. No.	Name & Designation	Gross Salary (Rs.)
1	SH. YOGESH KHANNA, CHAIRMAN	38,665/-
2	SH. B. M. NANTA, SECRETARY	43,642/-
3	SH. J.P. KALTA, EXECUTIVE DIRECTOR (TA)	49,395/-
4.	SH. MAHESH SIRKEK, DIRECTOR (TE)	45,381/-
5	SH. R.S.JALTA, DIRECTOR (T&D)	44,160/-
6	SMT. NEETA GAUTAM, DEPUTY DIRECTOR	32,513/-
7	SH. ANIL SHARMA, DY. DIRECTOR	27,074/-
8	SH. AJYA CHADHA, DEPUTY DIRECTOR	26,319/-
9.	SH. RAJIV SINDHU, DEPUTY DIRECTOR	23,688/-
10	SH. VAKIL SINGH, SR. PS	35,305/-
11.	SH. J.S.RAITKA, PAO	26,519/
12	SH. CHANDER VERMA, SR. A.O.	20,044/-
13.	SH. AJAY KAUSHISH, P.A.	26,833/-
14	SH. SATISH GHARU, SR.S.S	26,464/-
15.	SH. MOHINDER SINGH, SR. S.S.	27,871/-
16.	SH. B.S. KANWAR, SR.S.S.	17,941/-
17.	MS GURVINDER KAUR, SR.S.S.	15,358/-
18.	SH. RAJKUMAR, RECORD KEEPER	21,956/-
19.	SH. SUSHIL KASHYAP, SR. ASSTT.	25,964/-
20.	MS. RAMA MAHAJAN, SR. ASSTT.	16,670/-
21.	SH. KAMAL DILAiK, SR. ASSTT.	15,970/-
22.	SH. OM PARKASH, DRIVER	21,598/-
23.	SH. RAMESH CHAND, DRIVER	12,609/-

24.	SH. ROOM SINGH, DRIVER	12,499/-
25.	SH. MANMOHAN LAL, PEON	11,919/-
26.	SH. KISHORI LAL, PEON	7,422/-
27.	SH. MED RAM, PEON	10,819/-
28.	SH. JAGAT RAM, CLERK	11,696/-

10.10.2 कर्मचारियों के सेवा विनियम अभी तक सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये हैं। सेकंडमैंट पर लिये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते उनकी अंतिम सेलरी स्लिप के आधार पर दिये जा रहे है, जबकि नियमित एवं स्थायी तौर पर समायोजित किये गये कर्मचारियों को वेतन ड्राफट सेवा विनियम, 2004 के आधार पर दिये जा रहे हैं ।

10.11 सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विषिष्टियां उपदर्षित करते हुये प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट ;

कृप्या पैरा संख्या 8 शीर्षक "वित्त एवं लेखा" देखें ।

10.12 उपादान राषि कार्यक्रमों के आबंटन का विवरण व लाभार्थियों का विवरण;

आयोग एक अर्ध–न्यायिक निकाय है और उपदान कार्यक्रमों को लागू करना इसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता ।

10.13 आयोग द्वारा दी गई रियायतों, अनुज्ञापत्रों या परमिटों का विवरण ;

आयोग द्वारा इस प्रकार की कोई भी छूट, अनुज्ञा अथवा प्राधिकता प्रदान नहीं की जाती ।

10.14 किसी इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसके उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों ;

आयोग द्वारा जारी किये गये सभी विनियम/दिषा निर्देष और महत्वपूर्ण आदेष इलैक्ट्रिोनिक रूप में आयोग की बेबसाईट http/www.hperc.org पर उपलब्ध हैं।

10.15 सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं, जिनमें पुस्तकालय या वाचन कक्ष हों, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित हैं तो, उनका विवरण ;

हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 2005 के विनियम 23 के अनुसार प्रत्येक कार्यवाही का रिकॉर्ड, पार्टियों अथवा उनके स्वीकृत

प्रतिनिधियों को किसी भी समय, कार्यविधि के दौरान अथवा आदेष जारी होने के बाद, निर्धारित फीस जमा करके और अन्य शर्तों को पूरा करने के पश्चात निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाया जा सकता है । दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भी निर्धारित फीस जमा करवाकर और उपरोक्त विनियम के विनियम 24 में वर्णित विधिनुसार प्राप्त की जा सकती हैं । आयोग का पुस्तकालय सार्वजनिक नहीं है ।

10.16 लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पद और अन्य विषिष्टियां ;

सूचना के अधिकार, 2005 की धारा 5 और 9 की अनुपालना में अधिसूचित किये गये लोक सूचना अधिकारियों का विवरण इस प्रकार है :–

1.	अपील प्राधिकारी	श्री बी0एम0 नान्टा, सचिव, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग
2.	लोक सूचना अधिकारी	श्री जे.एस.रेटका, कार्मिक एवं प्रषासनिक अधिकारी
3.	सहायक लोक सूचना अधिकारी	श्री मति रमा महाजन, वर्रिष्ठ सहायक

10.17 ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए, प्रकाषित करेगा और तत्पष्चात् इन प्रकाषनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा ।

अन्य कोई सूचना वर्णित नहीं है ।

11. वर्ष 2008–09 की कार्य सूची :

- हिमाचल प्रदेश विद्युत ग्रिड, वितरण एवं आपूर्ति कोडों को अन्तिम रूप देना ।
- हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में ट्रांसमिशन तथा वितरण घाटा स्टडी की जांच करना ।
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के विनियम 2007 के अनुरूप एसएचपीएस हेतु ट्रांसमिशन निष्क्रमण प्रणाली एवं प्रगति की मॉनिटरिंग इत्यादि से संबन्धित मामलों का विश्लेषण करना ।
- विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अर्न्तगत विभिन्न वांछित विनियम को अन्तिम रूप देना ।
- जन सम्पर्क कार्यक्रम (पीआइपी) की समीक्षा ।

- नियन्त्रण अवधि 2008–11 के लिए बहुवर्षीय टेरिफ आदेश सम्बंधी मुदे ।
- उर्जा क्रम अनुबन्धों की समीक्षा एवं अनुमोदन ।
- आयोग द्वारा जारी किए गए विभिन्न विनियमों एवं निर्देशों के कार्यन्वयन की समीक्षा हेतु कदम।
- लाइसेंसी द्वारा दी गई कॉस्ट डाटा बुक का अनुमोदन ।
- आई0टी0 में और अधिक पहल करना ।

विषय सूची

क्रम संख्या	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	परिचय	

2	आयोग एवं इसका सचिवालय	
3	आयोग के कार्य	
4	आयोग के मानव संसाधन	
5	वर्ष के दौरान गतिविधियां	
6	राज्य आयोग, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा विद्युत सम्बन्धी न्यायाधिकरण द्वारा विवादों का अधिनियम (एपटेल)	
7	राज्य सलाहकार समिति	
8	वित एवं लेखा	
9	तकनीकी/विनियामक/टैरिफ मामले	
10	सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना	
11	वर्ष 2008–09 की कार्य सूची	
	अनुलग्नक	
	अंग्रेजी भाग देखें	